संख्या– /III(2)14–51(सामान्य)/2013

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 03 जुलाई, 2014

विषय : राज्य अन्तर्गत मार्गों/सेतुओं के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण।

महोदय,

कृपया, प्रदेश के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्गों की गुणवत्ता की नियमित जांच कराये जाने विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 3242/III(2)/14/लो.नि.वि./2014, दिनांक 26 मई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासन द्वारा लो.नि.वि. के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच दल गठित किए गये हैं तथा उन्हें विभिन्न मोटर मार्गों की गुणवत्ता की जांच आवंटित की जा रही है तथापि, आप सहमत होंगे कि अधिकारियों के द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत गतिमान प्रत्येक कार्य का निरीक्षण एक निश्चित अवधि में अवश्य कर लेना चाहिये। इस दृष्टि से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लो0नि0वि0 के अधिकारियों के लिये निर्माणधीन मार्गो/सेतुओं के निरीक्षण हेतु निम्न समय सारणी तय की गयी :–

क्र. स.	अधिकारी का पदनाम	कार्य की लागत जिनका ,निरीक्षण कालम संख्या 2 में अंकित अधिकारी द्वारा किया जाना है	निरीक्षण की अवधि जिसमें कालम 3 में उल्लिखित लागत के कार्यों का निरीक्षण कम से कम एक बार किया जाना है
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता	रु0 5 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य	प्रत्येक तीन माह में
2	अधीक्षण अभियन्ता	रु0 2 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य	प्रत्येक दो माह में
3	अधिशासी अभियन्ता	रु0 1 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य	प्रत्येक दो माह में
4	सहायक अभियन्ता	अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त कार्य	प्रत्येक माह में

3. मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता तालिका में निर्दिष्ट लागत से कम लागत के कार्यों का भी आवश्यकतानुसार निरीक्षण करेंगे। अधिशासी अभियन्ता अपने खण्ड के प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे। मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता अपने–अपने क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त समयसारणी के अनुसार मार्गों का निरीक्षण कर अपनी जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन को संलग्न प्रारूप मे प्रेषित करेंगे। प्रमुख अभियन्ता अपने स्तर पर सभी अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली निरीक्षण आख्या का व्यौरा संकलित करायेंगे तथा प्रत्येक माह की पहली तिथि तथा 15वीं तिथि को शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4. अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु सर्वसम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 4188 / III(2)14–51(सामान्य) / 13, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सलंग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने–अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ताओं, एवं सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश जारी करें।

1. प्रतिलिति मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. देहरादून / पौड़ी / हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
2. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग / ए0डी0बी0 देहरादून।

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव